CHANAKYA
IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

परीक्षा संचय

चाणक्य वीकली बूस्टर

करेंट अफेयर्स एंड न्यूजपेपर एनालिसिस

हैंडआउट
12
05 सितम्बर से 11 सितम्बर 2022

स्रोत : द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, आरएसटीवी, एलएसटीवी, एआईआर, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ आदि।

Web: www.chanakyaiasacademy.com, Email: enquiry@chanakyaiasacademy.com
Toll Free No. 1800 - 274 - 5005

प्रस्तावना से "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को हटाने के लिए याचिका दायर

संदर्भ :

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट पूर्व सांसद डॉ सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को हटाने की मांग की गई थी।
- प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के हिस्से के रूप में दो शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया था। दो समान मामलों में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि इन शब्दों को संविधान में शामिल करने का इरादा कभी नहीं था और इस तरह की प्रविष्टि "अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति से परे है।
- इसी तरह की याचिकाएं पहले भी दायर की गई हैं जो संविधान में प्रस्तावना की भूमिका को लेकर विवाद का मुद्दा बन गया ।

प्रस्तावना का उद्देश्य:

- प्रस्तावना एक दस्तावेज़ के परिचय के रूप में कार्य करती है और इसमें इसके मूल सिद्धांत और लक्ष्य शामिल हैं।
- जब भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, तो प्रस्तावना के आदर्शों को सबसे पहले 1947 में संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया था।
- ये आदर्श संविधान के प्रारूपण के दौरान हुई कई बहसों से सामने आए थे ।
- संविधान लोकतांत्रिक विचार-विमर्श का उत्पाद था और औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के मद्देनजर भारत के लोगों द्वारा स्वयं तय किया गया था, और यहां वर्णित आदर्श नए लोकतांत्रिक राष्ट्र के मूल में थे।
- संविधान सभा में विचार विमर्श के दौरान कई सुझाव दिए गए - जिसमें यह भी शामिल था कि ईश्वर को प्रस्तावना में शामिल किया जाना चाहिए जैसा कि आयरिश संविधान में किया गया है, महात्मा गांधी का नाम शामिल किये जाने आदि पर भी सुझाव दिए गए।
- यह सवाल कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या केवल एक परिचय है इस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया गया, क्योंकि इसमें उल्लिखित उद्देश्यों का अर्थ जैसे "स्थिति और अवसर की समानता", कानून की दृष्टि से अस्पष्ट रहा। हालांकि, 1995 के प्रसिद्ध एलआईसी मामले में अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान की प्रस्तावना जो संविधान का एक अभिन्न अंग है", संविधान के हिस्से के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि करता है।
- इसके अतिरिक्त, प्रस्तावना में उल्लिखित किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन अदालत जाने का कारण नहीं हो सकता है, जिसका अर्थ है कि प्रस्तावना "गैर-न्यायिक" है - हालांकि, अदालतों के निर्णय इसे अपने तर्क में एक अतिरिक्त कारक के रूप में उद्धृत कर सकते हैं, यह देखते हुए कि यह गठित संविधान की आत्मा है ।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

- बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।
- केशबनंदन भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और यह संविधान की मूल संरचना का भी हिस्सा है।

प्रस्तावना में किन परिस्थितियों में संशोधन किया गया?

- अपने कार्यकाल के दौरान, इंदिरा गांधी ने "गरीबी हटाओ" (गरीबी उन्मूलन) जैसे नारों के साथ एक समाजवादी और गरीब-समर्थक छवि के आधार पर जनता के बीच अपनी स्वीकृति को मजबूत करने का प्रयास किया था।
- संविधान में 42वां संशोधन, 1976 में पारित हुआ, जब आपातकाल लागू था, "संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य" शब्दों को "संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" से बदल दिया गया। इसने "राष्ट्र की एकता" को "राष्ट्र की एकता और अखंडता" में भी बदल दिया।
- **संशोधन की प्रक्रिया:-**
    - अनुच्छेद 368(2) के तहत, संसद "प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से एक विधेयक पारित करके संविधान में संशोधन कर सकती है। "
    - उसके बाद, विधेयक "राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा जो अपनी सहमति देंगे ... और उसके बाद संविधान में संशोधन हो जाएगा "।

क्या आजादी से पहले 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवाद' पर बहस हुई थी?

- संविधान सभा में बहस के दौरान के टी शाह और ब्रजेश्वर प्रसाद जैसे सदस्यों ने इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ने की मांग उठाई थी।
- हालाँकि, डॉ बी आर अम्बेडकर ने तर्क दिया: "राज्य की नीति क्या होनी चाहिए, समाज को उसके सामाजिक और आर्थिक पक्ष में कैसे संगठित किया जाना चाहिए, यह ऐसे मामले हैं जिन्हें लोगों को समय और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं तय करना होगा। इसे संविधान में निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह पूरी तरह से लोकतंत्र को नष्ट कर देगा ।"
- अपनी याचिका में, डॉ स्वामी ने अंबेडकर की स्थिति का उल्लेख किया। अम्बेडकर ने यह भी कहा, "मेरा तर्क यह है कि इस संशोधन में जो सुझाव दिया गया है वह पहले से ही प्रस्तावना के मसौदे में निहित है"।
- दरअसल, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की पुष्टि करने वाले कई सिद्धांत मूल रूप से संविधान में निहित थे, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो सरकार को उसके कार्यों में मार्गदर्शन करने के लिए है। कुछ उदाहरण "समुदाय की भलाई के लिए भौतिक संसाधनों का समान वितरण" और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित प्रावधान हैं।
- इसी तरह, मौलिक अधिकारों में, जो किसी के धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की अनुमति देता है, साथ ही सरकारी नीतियों में जो समुदायों में धार्मिक अवसरों को मान्यता देते हैं, इसमे धर्मनिरपेक्षता के एक भारतीय संस्करण का पालन किया जाता है।
- पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के विपरीत, जो राज्य और धर्म को कड़ाई से अलग करती है, भारतीय राज्य ने वर्षों से सभी धर्मों से संबंधित मामलों को स्वीकार किया है और खुद को शामिल किया है।

प्रस्तावना के मुख्य शब्द:

- संप्रभु: शब्द का अर्थ है कि भारत का अपना स्वतंत्र अधिकार है और यह किसी अन्य बाहरी शक्ति का प्रभुत्व में नहीं है। देश में, विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति है जो कुछ सीमाओं के अधीन हैं।
- समाजवादी: शब्द का अर्थ है समाजवादी उपलब्धि लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से हो। यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ-साथ मौजूद हैं। इसे 42वें संशोधन, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था।
- धर्मनिरपेक्ष: शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्य से समान सम्मान, सुरक्षा और समर्थन मिलता है। इसे 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था।
- लोकतांत्रिक: इस शब्द का अर्थ है कि भारत के संविधान में संविधान का एक स्थापित रूप है जो चुनाव में व्यक्त लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है।
- गणतंत्र: यह शब्द इंगित करता है कि राज्य का मुखिया लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत में, भारत का राष्ट्रपति राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है।
- न्याय: भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से समाज में व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। इसमें तीन तत्व शामिल हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हैं।
- समानता: 'समानता' शब्द का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के पास कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं है और सभी लोगों ने बिना किसी भेदभाव के हर चीज के लिए समान अवसर दिए हैं। और कानून के सामने सब बराबर हैं।
- स्वतंत्रता: 'लिबर्टी' शब्द का अर्थ है लोगों को अपने जीवन का तरीका चुनने, समाज में राजनीतिक विचार और व्यवहार करने की स्वतंत्रता है । स्वतंत्रता का अर्थ कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं है, व्यक्ति कुछ भी कर सकता है लेकिन कानून द्वारा निर्धारित सीमा में रहकर ।
- बंधुत्व: 'भ्रातृत्व' शब्द का अर्थ है देश और सभी लोगों के साथ भाईचारे की भावना और भावनात्मक लगाव। भाईचारा राष्ट्र में गरिमा और एकता को बढ़ावा देने में मदद करता है।

नैनो यूरिया

संदर्भ :

हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने नैनो यूरिया, इफको द्वारा विकसित एक तरल उर्वरक की व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी है।

नैनो यूरिया के बारे में:

- नैनो यूरिया इफको द्वारा विकसित एक तरल उर्वरक है। यह पारंपरिक यूरिया का विकल्प है। यह अनिवार्य रूप से एक नैनोकण के रूप में यूरिया है।
- इसका उद्देश्य पैकेज्ड यूरिया पर किसानों की निर्भरता को कम करना है।

उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) 1985 के बारे में:

- यह मौजूदा नियमों पर आधारित है जो अस्थायी रूप से केवल दो फसल मौसमों के आंकड़ों के आधार पर उर्वरकों के उपयोग की अनुमति देता है।
- व्यावसायिक उपयोग के लिए एक नए उर्वरक की सिफारिश करने या अस्वीकार करने की सामान्य प्रथा के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन के तीन सत्रों की आवश्यकता होती है, लेकिन नैनो यूरिया के मामले में इसे घटाकर दो कर दिया गया।

निर्मित सामग्री:

- वित्तीय वर्ष 2025 तक, 500 मिली नैनो यूरिया की लगभग 440 मिलियन बोतलों का उत्पादन किया जाएगा। यह लगभग 20 मिलियन टन यूरिया के बराबर होगा। यह भारत द्वारा सालाना आयात किए जाने वाले 9 मिलियन टन को कम करने के इरादे से किया जाएगा ।
- नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) ने नैनो यूरिया की तकनीक को स्थानांतरित करने के लिए इफको के साथ गैर प्रकटीकरण समझौते और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इसका उद्देश्य नैनो यूरिया के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाना है।

आयात सामग्री:

- देश का घरेलू यूरिया उत्पादन करीब 2.6 करोड़ टन है, जबकि मांग करीब 3.5 करोड़ टन है। और,इस अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।
- पारंपरिक यूरिया को नैनो यूरिया से बदलने के बाद सरकार प्रति वर्ष लगभग 40,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत करेगी।
- 2023-24 के बाद यूरिया के आयात की आवश्यकता नही होने की संभावना है।

फ़ायदे

- **कम कीमत:** यह आधा लीटर की बोतल में आता है जिसकी कीमत 240 रुपये है, और वर्तमान में सब्सिडी का कोई बोझ नहीं है। इसके विपरीत, एक किसान भारी सब्सिडी वाले यूरिया के 50 किलोग्राम के बैग के लिए लगभग 300 रुपये का भुगतान करता है।
- **उच्च दक्षता:** पारंपरिक यूरिया की दक्षता लगभग 25 प्रतिशत है; तरल नैनो यूरिया की दक्षता 85-90 प्रतिशत तक हो सकती है।
- **अवशोषण:** तरल नैनो यूरिया को सीधे पत्तियों पर छिड़का जाता है और पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। नैनो रूप में उर्वरक फसलों को पोषक तत्वों की लक्षित आपूर्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि वे पत्तियों के एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा अवशोषित होते हैं।
- **कम सब्सिडी विधेयक**: यह देश के सब्सिडी बिल को कम करेगा और इसका उद्देश्य पारंपरिक यूरिया के असंतुलित और अंधाधुंध उपयोग को कम करना है।

- **बेहतर फसल उत्पादकता:** नैनो यूरिया के उपयोग से फसल उत्पादकता में सुधार होता है। इसे रासायनिक उर्वरकों का एक उत्कृष्ट विकल्प माना जाता है क्योंकि यह विकास को बढ़ावा देता है और पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है।
- **फसल चक्र की अवधि में गिरावट :** नैनो-उर्वरक फसल चक्र की अवधि को कम करते हैं और फसल की उपज बढ़ाते हैं।

नैनो-उर्वरक की सीमाएं

- नैनो-उर्वरक में जोखिम प्रबंधन प्रणाली का अभाव
- आवश्यक मात्रा में नैनो उर्वरकों के उत्पादन और उपलब्धता में कमी। यह पौधों के पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में नैनो-उर्वरक के व्यापक पैमाने पर अपनाने को सीमित करता है।
- नैनो उर्वरकों की उच्च लागत।
- निर्माण प्रक्रिया में मानकीकरण का अभाव। यह विभिन्न पेडोक्लिमेटिक परिस्थितियों में एक ही नैनोमटेरियल के विभिन्न परिणाम लाता है।

नैनो यूरिया और पारंपरिक यूरिया

Properties	Nano fertilizers	Conventional fertilizers
Solubility and dispersion of mineral micronutrients	Improve solubility and dispersion of insoluble nutrients in soil, reduce soil absorption and fixation and increase the bioavailability	Less bioavailability to plants due to large particle size and less solubility
Nutrient uptake efficiency	Might increase fertilizer efficiency and uptake ratio of the soil nutrients in crop production and save fertilizer resource	Bulk composite is not available for roots and decrease efficiency
Controlled-release modes	Release rate and release pattern of nutrients for water-soluble fertilizers might be precisely controlled through encapsulation in envelope forms	Excess release of fertilizers may produce toxicity and destroy ecological balance of soil
Effective duration of nutrient release	Nanofertilizers can extend effective duration of nutrient supply of fertilizers into soil	Used by the plants at the time of delivery, the rest is converted into insoluble salts in the soil
Loss rate of fertilizer nutrients	Reduce loss rate of fertilizer nutrients into soil by leaching and/or leaking.	High loss rate by leaching, rain off and drift.

Nurturing Leaders of Tomorrow

कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग:

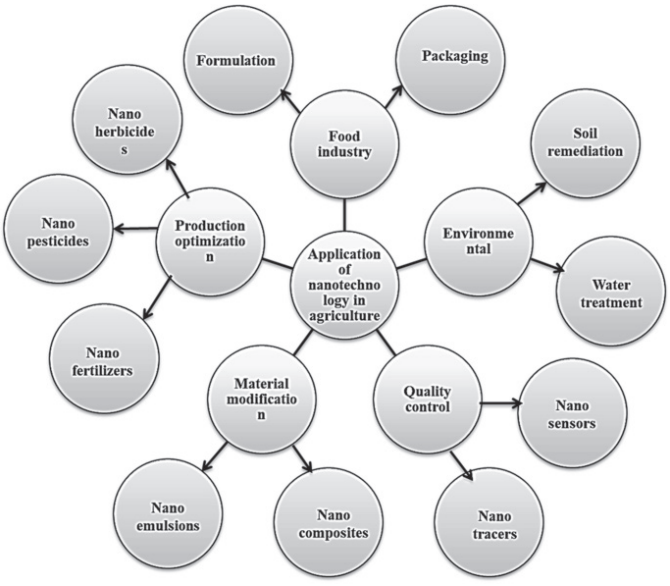

भारत के साइबर बुनियादी ढांचा

खबरों में क्यों:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, 2016 में साइबर अपराध के 12,317 मामलों में से, 2020 में 50,035 मामले दर्ज किए गए थे।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के बढ़ते उपयोग के साथ भारत में साइबर अपराध बढ़ रहा है।

साइबर क्राइम

- इसे एक अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां एक कंप्यूटर अपराध की वस्तु है या अपराध करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है।
- साइबर अपराध सर्वकालिक उच्च स्तर पर हैं, जो व्यक्तियों, व्यवसायों और देशों को प्रभावित कर रहे हैं।
- भारत में, साइबर अपराध को उपयोगकर्ता या आपराधिक गतिविधि के स्थान की अनुमति के बिना कुछ कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और इसमें ऑनलाइन क्रैकिंग से लेकर सेवा हमलों से इनकार करने तक सब कुछ शामिल है उदाहरण: फ़िशिंग, स्पूफ़िंग, डीओएस (सेवा से इनकार) हमला , क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, ऑनलाइन लेनदेन धोखाधड़ी, साइबर मानहानि, बाल अश्लीलता, आदि।

भारत में बढ़ते साइबर हमले के कारण:

- **प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता:** सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के बढ़ते उपयोग के साथ भारत में साइबर अपराध बढ़ रहा है। COVID के बाद के युग में बढ़ती डिजिटल निर्भरता ने डिजिटल असमानताओं को उजागर किया है।
- **सीमित क्षमता वाली प्रवर्तन एजेंसियां:** साइबर अपराधों की जांच करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता सीमित रहती है। साइबर सुरक्षा के प्रति भारत का दृष्टिकोण अब तक तदर्थ और अराजक रहा है।
- राज्य सूची में 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के साथ, अपराध की जांच और आवश्यक साइबर बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों के पास है। साथ ही, आईटी अधिनियम और प्रमुख कानून के केंद्रीय कानून होने के कारण, केंद्र सरकार प्रवर्तन एजेंसियों के लिए समान वैधानिक प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए कम जिम्मेदार नहीं है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समन्वय का अभाव:** इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आम सहमति का अभाव है।
- **कोई प्रक्रियात्मक कोड नहीं:** साइबर या कंप्यूटर से संबंधित अपराधों की जांच के लिए कोई अलग प्रक्रियात्मक कोड नहीं है।
- **तकनीकी कर्मचारियों की कमी** : साइबर अपराध की जांच के लिए तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती के लिए राज्यों द्वारा आधे-अधूरे प्रयास किए गए हैं।
- कला, वाणिज्य, साहित्य या प्रबंधन में अकादमिक पृष्ठभूमि वाला एक नियमित पुलिस अधिकारी कंप्यूटर या इंटरनेट के कामकाज की बारीकियों को समझने में असमर्थ हो सकता है।
- आम जनता के बीच कम डिजिटल साक्षरता और राष्ट्रों के बीच डिजिटल अंतराल साइबर डोमेन में एक अस्थिर वातावरण बनाते हैं

भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार की पहल:

- **असुरक्षित ऐप्स पर प्रतिबंध:** भारत ने सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था (भारत ने कई ऐप (ज्यादातर चीनी मूल के) पर प्रतिबंध लगा दिया था जो भारतीय नागरिकों द्वारा उपयोग के लिए असुरक्षित पाए गए थे।
- **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन):**
- यह देश की साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है, और इसने सरकारी नेटवर्क पर साइबर हमलों की दर को कम करने में मदद की है।

- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र** (I4C)
- साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए
- चरमपंथी और आतंकवादी समूहों के कारण साइबर स्पेस के दुरुपयोग को रोकने के लिए

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)

- यह एक केंद्र सरकार की संस्था है, जो भारत की महत्वपूर्ण जानकारी की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास या सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
- **साइबर स्वच्छता केंद्र:** साइबर स्वच्छता केंद्र उपयोगकर्ताओं को अपने सिस्टम का विश्लेषण करने और विभिन्न वायरस, बॉट / मैलवेयर, ट्रोजन आदि से मुक्त रखने में मदद करता है। 2017 की शुरुआत में लॉन्च किया गया।
- **साइबर सुरक्षित भारत:** इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITy) द्वारा 2018 में एक उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया था। साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाना और सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) और फ्रंटलाइन आईटी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपायों के लिए क्षमता निर्माण करना ।
- **साइबर योद्धा पुलिस बल:** इसका आयोजन 2018 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तर्ज पर किया गया था।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2008 में संशोधित):** यह भारत में साइबर अपराध और डिजिटल वाणिज्य से निपटने के लिए मुख्य कानून है। साइबर इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए आईटी एक्ट 2000 की धारा 70 ए के तहत नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) बनाया गया था।
- **बीआईएस दिशानिर्देश**:भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा जारी डिजिटल साक्ष्य की पहचान, संग्रह, अधिग्रहण और संरक्षण के लिए व्यापक दिशानिर्देश पहले उत्तरदाता और विशेषज्ञ दोनों के लिए काफी व्यापक और समझने में आसान है।
- **न्यायिक हस्तक्षेप:** जुलाई 2018 में मसौदा नियमों को तैयार करने के लिए एक पांच-न्यायाधीशों की समिति का गठन किया गया था जो अदालतों द्वारा डिजिटल साक्ष्य के स्वागत के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

- एनसीआरबी की स्थापना 1986 में गृह मंत्रालय के नई दिल्ली में की गई थी। इसकी स्थापना अपराध और अपराधियों पर सूचना के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी ताकि अपराधियों को अपराध से जोड़ने में जांचकर्ताओं की सहायता की जा सके।
- इसे राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) और गृह मंत्रालय के टास्क फोर्स (1985) की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था।

कार्य:

- ब्यूरो को यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएसओ) को बनाए रखने और इसे नियमित आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करने का काम सौंपा गया है।
- एनसीआरबी को 'ऑनलाइन साइबर-अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' के तकनीकी और परिचालन कार्यों का प्रबंधन करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक बाल अश्लीलता से संबंधित अपराध के साक्ष्य के रूप में शिकायत दर्ज कर सकता है या वीडियो क्लिप अपलोड कर सकता है।
- इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी एनसीआरबी को दी गई है।

2021 में निवारक निरोध

संदर्भ:

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी नवीनतम अपराध आँकड़ों के अनुसार निवारक निरोधों में 2021 में वृद्धि देखी गई।

रिपोर्ट के बारे में:

- 2021 में निवारक निरोध में 23.7% से अधिक की वृद्धि देखी गई, जिसमें 1.1 लाख से अधिक लोगों को निवारक निरोध के तहत रखा गया था।
- इनमें से 483 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में थे, जिनमें से लगभग आधे (241) या तो हिरासत में थे या अभी भी 2021 के अंत तक हिरासत में थे।
- निवारक हिरासत में रखे गए कुल 24,500 से अधिक लोग या तो हिरासत में थे या अभी भी पिछले साल के अंत तक हिरासत में थे - 2017 के बाद से जबसे एनसीआरबी ने इस डेटा को रिकॉर्ड करना शुरू किया है यह आंकड़ा सबसे अधिक है ।
- 2017 में, एनसीआरबी की भारत में अपराध की रिपोर्ट में पाया गया कि उस वर्ष कुल 67,084 लोगों को एक निवारक उपाय के रूप में हिरासत में लिया गया था।
- इनमें से, रिपोर्ट में कहा गया है कि 48,815 को उनकी हिरासत के एक से छह महीने के बीच रिहा कर दिया गया था और 18,269 साल के अंत तक या तो हिरासत में थे या अभी भी निवारक हिरासत में थे।

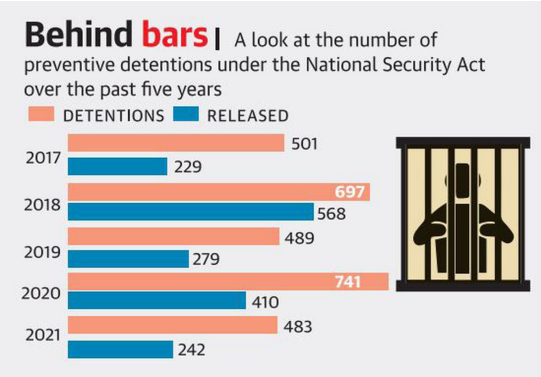

- हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की संख्या 2017 के बाद से लगातार बढ़ रही है - 2018 में 98,700 से अधिक और 2019 में 1.06 लाख से अधिक - 2020 में 89,405 तक गिरने से पहले तक । 2021 से संबंधित डेटा से पता चला है कि पिछले साल 1,10,683 व्यक्तियों को निवारक नजरबंदी के तहत रखा गया था। जिनमें से 24,525 वर्ष के अंत तक या तो हिरासत में थे या अभी भी हिरासत में थे और बाकी को उनकी नजरबंदी के एक से छह महीने के भीतर छोड़ दिया गया था।
- जबकि निवारक निरोध के तहत रखे गए व्यक्तियों की संख्या में 2021 में वृद्धि देखी गई है, एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत इस तरह से गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या में एक साल पहले की तुलना में काफी गिरावट आई है।
- एनएसए के तहत निवारक निरोध 2020 में 741 पर चरम पर पहुंच गया। 2021 में यह संख्या गिरकर 483 हो गई।
- 2017 में, हिरासत में लिए गए 54.2% व्यक्ति या तो हिरासत में थे या वर्ष के अंत तक अभी भी हिरासत में थे। 2021 में, यह संख्या घटकर 49.8% हो गई, जिनमें से आधे से अधिक को हिरासत में लिया गया था।

> Preventive detention must fall within the four corners of Article 21 (protection of life and liberty) read with Article 22 and the statute in question... ...for 'public order' to be disturbed, there must in turn be public disorder. Mere contravention of law... before it can be said to affect 'public order', must affect the community or the public at large –SC

निवारक निरोध से संबंधित अन्य कानून

- अन्य कानूनों में, जिनके तहत एनसीआरबी ने निवारक निरोधों पर डेटा दर्ज किया है, वे हैं गुंडा अधिनियम (राज्य और केंद्र) (29,306), नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1988 (1,331) में अवैध यातायात की रोकथाम, और एक श्रेणी जिसे "अन्य डिटेंशन एक्ट" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जिसके तहत अधिकांश डिटेंशन दर्ज की गई है (79,514)।
- 2017 के बाद से, निवारक निरोध के तहत रखे जाने वाले व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या लगातार "अन्य निरोध अधिनियम" श्रेणी के अंतर्गत रही है।

नज़रबंदी:

अपने सरलतम अर्थ में निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना अर्थात उस व्यक्ति की जानकारी के बिना उसके अधिकार का कम कर देना।

हिरासत के प्रकार

हिरासत के 2 प्रकार हैं:

- **निवारक निरोध:**
  - अभियुक्त व्यक्तियों को मुकदमे से पहले इस धारणा पर कैद करने की प्रथा कि उनकी रिहाई समाज के सर्वोत्तम हित में नहीं होगी

- **दंडात्मक निरोध:**
    - अदालत के मुकदमे और दोषसिद्धि के बाद किए गए अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करना।

संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
    - यह राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के कारणों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निवारक निरोध और प्रतिबंध की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 22 (4) में कहा गया है कि निवारक निरोध का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देगा, जब तक कि:
- एक सलाहकार बोर्ड विस्तारित निरोध के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट करता है।
    - ऐसे व्यक्ति को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अनुसार हिरासत में लिया जाता है।

प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950:

यह रक्षा, विदेशी मामलों या राज्य की सुरक्षा के आधार पर किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की बात करता है।

निवारक निरोध के खिलाफ संविधान में दिए गए सुरक्षा उपाय:

- समय सीमा:
    - एक व्यक्ति को पहली बार में केवल 3 महीने के लिए निवारक हिरासत में लिया जा सकता है।
    - यदि नजरबंदी की अवधि 3 महीने से अधिक बढ़ा दी जाती है, तो मामले को एक सलाहकार बोर्ड को भेजा जाना चाहिए जिसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता वाले व्यक्ति शामिल हों।
    - यह निहित है कि निरोध की अवधि को केवल सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदन पर 3 महीने से आगे बढ़ाया जा सकता है।
- हिरासत के आधार:
    - बंदी को अपनी नजरबंदी के आधार जानने का अधिकार है।
    - हालाँकि, राज्य हिरासत के आधार का खुलासा करने से इनकार कर सकता है यदि ऐसा करना जनहित में है।
    - राज्य को दी गई यह शक्ति अधिकारियों की ओर से मनमानी कार्रवाई की गुंजाइश छोड़ देती है।
- नजरबंदी के खिलाफ अभ्यावेदन:
    - हिरासत में लेने वाले अधिकारियों को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को नजरबंदी के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने के लिए जल्द से जल्द अवसर देना चाहिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम:

- यह सरकार को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है यदि अधिकारी संतुष्ट हैं कि वह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है या ऐसे लोगों को सार्वजनिक कानून और व्यवस्था को बाधित करने से रोकने के लिए हिरासत में ले सकता है ।
- राज्य या केंद्र किसी व्यक्ति को "राज्य की सुरक्षा" या "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव" के लिए हानिकारक किसी भी तरह से कार्य करने से रोकने के लिए उसे हिरासत में ले सकते हैं।
- एक व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है यदि वह विदेशों के साथ भारत के संबंधों के लिए खतरा है।
- यह एक प्रशासनिक आदेश है जो या तो संभागीय आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया है और यह विशिष्ट आरोपों के आधार पर या कानून के विशिष्ट उल्लंघन के लिए पुलिस द्वारा हिरासत में लेने का आदेश नहीं है।

जलवायु संकट भी एक ऋण संकट

संदर्भ:

- पाकिस्तान में आया हालिया बाढ़ एक मानवीय संकट है। पूरे शहर में , महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, घर, खेत और फसलें नष्ट हो रही हैं। 33 मिलियन लोगों के प्रभावित होने और मरने वालों की संख्या एक हजार से अधिक होने और बढ़ने के साथ –साथ , मानव और आर्थिक लागत का काफी ज्यादा होना तय है।

आर्थिक संकट:

- यह अनुमान है कि देश को व्यापक नुकसान में कम से कम $10 बिलियन का खर्च आएगा।
- देश को अत्यधिक विस्थापन, बेघर, भूख और जल जनित बीमारियों के प्रसार के साथ-साथ पुनर्निर्माण और पुनर्निर्माण की लंबी अवधि की लागत दोनों की तात्कालिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- पाकिस्तान एक गहरे ऋण संकट का सामना कर रहा है ताकि वह उस जलवायु आपदा की लागत का भुगतान कर सके जो उसने नहीं की थी।

पाकिस्तान की भेद्यता:

- पाकिस्तान "जमीनी बाढ़, कई हिमनद झीलों के विस्फोट, हीटवेव और अब दशक के सबसे खतरनाक मानसून" के "ग्राउंड जीरो" पर है।
- पाकिस्तान में 7,000 से अधिक ग्लेशियर हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर सबसे बड़ी संख्या है। बढ़ते वैश्विक तापमान उन्हें तेजी से और पहले पिघला रहे हैं, हिमनद झीलें बना रहे हैं और जिस कारण नदियों और नालों में भारी मात्रा में जल की मात्रा बढ़ रही है।
- इस साल, मानसून का मौसम पहले शुरू हुआ और लंबे समय तक चला।
- ये कारक पाकिस्तान को दुनिया का आठवां सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील देश बनाते हैं और फिर भी यह वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के 1% से भी कम के लिए जिम्मेदार है।
- इसके बावजूद, पाकिस्तान के लोग एक ऐसे संकट के लिए घातक कीमत चुका रहे हैं जिसमें उनकी गलती नहीं है बल्कि सदियों से विकासशील देशों के द्वारा किए गए जीवाश्म-ईंधन निष्कर्षण का यह परिणाम है।

जलवायु परिवर्तन:

- जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव से है। ये बदलाव प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसे सौर चक्र में बदलाव के माध्यम से।
- लेकिन 1800 के दशक से, मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का मुख्य चालक रही हैं, मुख्य रूप से कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने के कारण।
- जीवाश्म ईंधन को जलाने से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है जो पृथ्वी के चारों ओर लिपटे एक कंबल की तरह काम करता है, सूरज की गर्मी को फंसाता है और तापमान बढ़ाता है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता तापमान बर्फ के पिघलने में तेजी ला रहा है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ जाता है और बाढ़ और कटाव होता है।

जलवायु परिवर्तन लागत:

- एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार, अनियंत्रित ग्लोबल वार्मिंग 2100 तक विश्व उत्पादन का 7% कम कर देगी।
- विश्व के केंद्रीय बैंकों के हरित वित्तीय समूह प्रणाली नेटवर्क इसे 13% से भी अधिक बता रहे है
- विश्व बैंक के अनुसार 2030 तक जलवायु परिवर्तन से 132 मिलियन और लोग अत्यधिक गरीबी में चले जाएंगे।

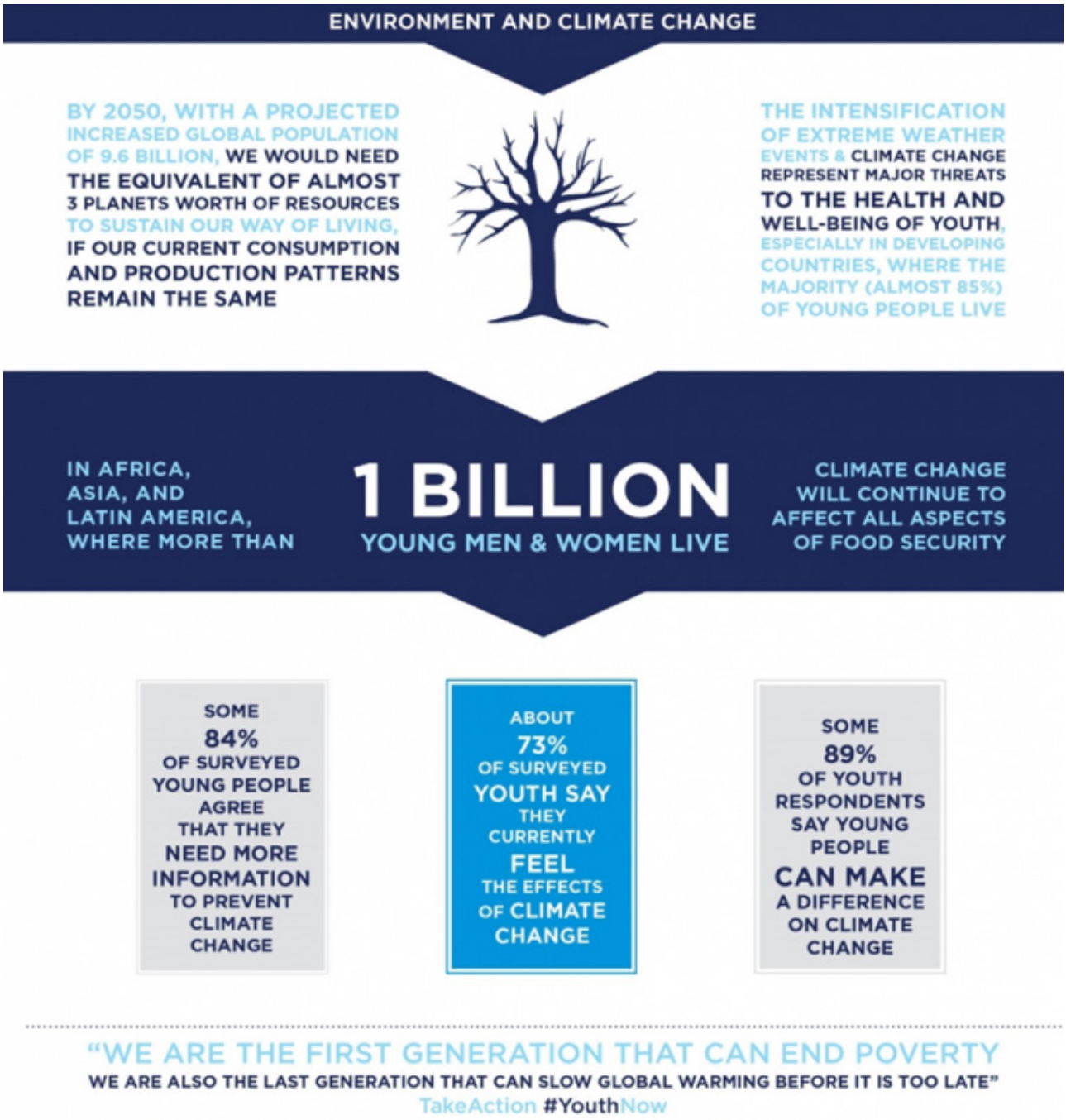

- भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जलवायु परिवर्तन की प्रासंगिकता:
- भारत की जलवायु प्रकृति में काफी विविधतापूर्ण है, हिमालय से लेकर समतल समुद्र तटों तक, जलवायु में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है।
- जलवायु हिमालय पर्वत के ठंडे तापमान से लेकर दक्षिणी भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु परिस्थितियों में भिन्न होती है।
- उत्तर-पूर्वी राज्यों में सबसे अधिक वर्षा हुई, जबकि उत्तर-पश्चिमी राज्य पानी से सूखकर थार और ग्रेट इंडियन डेजर्ट के शुष्क रेगिस्तान बनाते हैं।
- जलवायु परिस्थितियों की इतनी विशालता ने हमेशा भारत को लाभान्वित किया है। भारत दुनिया में आर्थिक गतिविधियों के उच्चतम घनत्वों में से एक है, और आबादी का एक बड़ा वर्ग अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधन आधार पर निर्भर है, जो वर्षा पर उच्च निर्भरता के साथ है।
- जलवायु परिवर्तन मौसम के मिजाज को कम अनुमानित बना सकता है। ये अप्रत्याशित मौसम पैटर्न फसलों को बनाए रखना और उगाना मुश्किल बना सकते हैं भारत जैसी कृषि अर्थव्यवस्था में जहां वर्षा इतनी महत्वपूर्ण है, जलवायु परिवर्तन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर तत्काल प्रभाव पड़ता है।

भारत के लिए जलवायु परिवर्तन की आर्थिक लागत

- वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने पर भी यह अनुमान लगाया गया है कि जलवायु परिवर्तन 2100 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद को लगभग 2.6% तक कम कर सकता है, ऐसे परिदृश्य में जहां वैश्विक तापमान बढ़ रहा है (4 डिग्री सेल्सियस), यह कमी 13.4% होने का अनुमान है।
- पाकिस्तान कोई अकेला मामला नहीं है, वर्तमान में 54 देश कर्ज के संकट में हैं, और इनमें से कई देश जलवायु संकट की अग्रिम पंक्ति में भी हैं। जलवायु और ऋण के दो संकट अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। जब तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अमीर सरकारें और पश्चिमी बैंक और हेज फंड जैसे धनी लेनदार बड़े पैमाने पर ऋण रद्द करने पर ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं, तब तक ऋण जलवायु अराजकता के त्वरक के रूप में कार्य करना जारी रखेगा।

CHANAKYA
IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

अभ्यास प्रश्न

1. गलत कथन चुनें।

(a) बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।

(b) प्रस्तावना में उल्लिखित किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन अदालत जाने का कारण नहीं हो सकता है, जिसका अर्थ है कि प्रस्तावना "गैर-न्यायसंगत" है।

(c) प्रस्तावना के आदर्शों को पहले उद्देश्य प्रस्ताव में निर्धारित किया गया था।

(d) धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्य से समान सम्मान, सुरक्षा और समर्थन मिलता है। इसे 44वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था।

2. निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए:

1. नैनो यूरिया इफको द्वारा विकसित एक तरल उर्वरक है।
2. पारंपरिक यूरिया की दक्षता लगभग 25 प्रतिशत है, जबकि तरल नैनो यूरिया की दक्षता 85-90 प्रतिशत तक हो सकती है।

निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एनसीआरबी की स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) और गृह मंत्रालय के टास्क फोर्स (1985) की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
2. इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी एनसीआरबी को दी गई है।

निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

4. निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
2. यदि नजरबंदी की अवधि 3 महीने से अधिक बढ़ा दी जाती है, तो मामले को एक सलाहकार बोर्ड को भेजा जाना चाहिए जिसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता वाले व्यक्ति शामिल हों।

निम्नलिखित में से कौन सा गलत है?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

5. निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए:

1. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि अनियंत्रित ग्लोबल वार्मिंग 2100 तक विश्व उत्पादन का 7% कम कर देगी।
2. विश्व के केंद्रीय बैंकों के हरित वित्तीय समूह प्रणाली नेटवर्क इसे 20% से भी अधिक बता रहे है

निम्नलिखित में से कौन सा गलत है?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर

1	2	3	4	5
D	C	C	D	B

NOTE: दिए गये प्रश्नों के उत्तर की व्याख्या के लिए ऊपर दिए गये आलेखों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।